

राजनीति विज्ञान

बी.ए.२ ईयर के छात्रों के लिए

द्वितीय प्रश्न पत्र : तुलनात्मक सरकारें एवं राजनीति

“ब्रिटेन का संविधान”



महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
Rohilkhand University, Bareilly
Mahatma Jyotirao Phule

प्रस्तुतकर्ता -

डॉ. नरेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान

राजकीय महाविद्यालय भोजपुर, मुरादाबाद

ब्रिटिश संविधान का अर्थ

ब्रिटिश संविधान दुनिया का एक मात्र ऐसा संविधान है, जिसका निर्माण न तो किसी योजनानुसार हुआ है और न ही इसे कभी लेखबद्ध किया गया है। ब्रिटिश संविधान एक लम्बे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान वास्तव में एक विकासशील संविधान है। समय तथा परिस्थितियों ने इस में बहुत सी नई परम्पराएं डाल दी हैं।

ब्रिटिश संविधान की परिभाषा

मुनरो के अनुसार- “यह बुद्धिमत्ता व संयोग के मिलन से उत्पन्न बालक है जिसका मार्गदर्शन कभी आकस्मिक घटनाओं और कभी उच्च कोटी की योजनाओं ने किया है। यह एक नदी की भांति है जिसका तलपृष्ठ मानों किसी के पैर से इधर-उधर से निकलता है और कभी-कभी पत्तों के झुरमुट में भी खो जाता है।”

जार्ज बर्नार्ड के अनुसार- “ब्रिटेन में संविधान नहीं क्योंकि यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है और न ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान कहीं भी लेखबद्ध ही नहीं है।”

ब्रिटिश संविधान का अर्थ और परिभाषों को जाने के बाद हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान ब्रिटेन की प्रथाओं और परम्पराओं का एक सम्मिलित रूप है जो लिखित नहीं है।

ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं

राजतंत्र, कुलीनतंत्र, तथा प्रजातंत्र का मिश्रण

ब्रिटेन का संविधान राजतंत्र, कुलीनतंत्र, तथा प्रजातंत्र का मिश्रण है। ब्रिटेन में एक राजा भी होता है जिसे क्राउन के नाम से जाना जाता है लेकिन वह भारत के राष्ट्रपति के समान नाममात्र का कार्यपालक होता है। लार्ड सभा कुलीनतंत्र और कॉमनसभा प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रचीन संविधान

ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता यह है कि यह विश्व के सबसे प्रचीन संविधानों में से एक है। ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम संवैधानिक शासन आरंभ हुआ था।

विकसित संविधान

ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है। इसे निर्मित करने के लिए सोवियत संघ(रूस) अमेरिकि, फ्रांस, भारत आदि देशों की तरह संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। न ही इस संविधान कि कोई घोषणा की गई थी यह तो अंग्रेजी समाज के साथ ही विकसित हुआ है।

लचीलापन

ब्रिटिश संविधान अपने लचीलेपन से विश्व विख्यात है। ब्रिटिश के संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकता है इस में संशोधन करने

की प्रक्रिया सामान्य कानूनो की तरह ही है। पार्लियामेंट सामान्य कानून पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है ।

संसद की सर्वोच्चता

ब्रिटेन संसद सर्वोच्च है उसे ब्रिटेन में कानून बनाने की असीम शक्ति है। कानून की दृष्टि से ब्रिटेन की संसद को टक्कर देने वाली विश्व में कोई भी संसद नहीं है। एक विधदावन के शब्दों में, ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। ब्रिटिश संसद को संविधान में संशोधन करने की भी असीमित शक्ति प्राप्त है।

विधि का शासन

प्रोफेसर डाएसी द्वारा स्थापित विधि के शासन की अवधारणा को ब्रिटेन में स्वीकार किया गया है। वहा कानून से ऊपर कोई नहीं सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता है ब्रिटेन के हर नागरिक पर एक सा कानून लागू है।

अभिसमयों का महत्व

दुनिया के लगभग सभी संविधानों में कुछ न कुछ रीति-रिवाज परम्पराएं, परिपाटियाँ व अभिसमयों का अंश होता है लेकिन ब्रिटिश संविधान में इनकी मुख्य भूमिका है। अभिसमयों के कारण ही ब्रिटिश संविधान का स्वरूप अलिखित है। फ्रीमैन के अनुसार- “हमारे पास राजनीतिक नैतिकता की पूरी व्यवस्था है। जो परिणियमों या सामान्य विधियों के किसी पृष्ठ

पर नही पाई जाएगी परन्तु व्यवहार मे मे घोषणा-पत्र या पिटीशन ऑफ राइट्स मे शामिल किसी भी सिध्दांत से कम पवित्र नही है।“

पितृगत सिध्दांत

ब्रिटिश संविधान प्रजातंत्र के साथ-साथ राजतंत्र पैतृक सिध्दान्त पर आधारित है। यह पैतृक व आनुवांशिक सिध्दांत का समर्थक है। अतः लार्ड सभा अधिकांश सदस्य आनुवांशिक पीयर है। इसका मुख्य कारण है-अंग्रेजों की रूढ़िवादिता और अपनी प्रचानी संस्थाओं व मान्यताओं के प्रति अगाध श्रद्धा व निष्ठा। यह एक ही संविधान के तहत अनुदार व प्रगतिशील दृष्टिकोण का अद्भुत सम्मिलन है।

प्रधानमंत्री

ब्रिटेन मे शासन का मुख्य कार्यपालक व वास्तविक स्वामी प्रधानमंत्री ही होता है जो संसद का नेता होता है जो अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से शासन करता है। हमारे देश में प्रधान मंत्री का पद भी ब्रिटिश प्रधान मंत्री के समान है।

अलिखित संविधान

ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है यह संविधान अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत आदि देशो की तरह लेखद्व नही है बल्कि लंबे समय में विकसित परंपराओं पर आधारित है जिसे समय-समय पर पार्लियामेंट ने कानून बना कर परिपूरित किया जाता रहा है।

क्राउन

ब्रिटेन में एक संस्थागत राजा विद्यमान है। जो एक सत्ताधारी सरकार का प्रतिक है। ब्रिटिश सम्राट को क्राउन कि समस्त शक्तियां प्राप्त हैं। किसी विद्वान ने कहा है कि राजा मारता है क्राउन हमेशा जीवित रहता है। वह कभी नहीं मारता।

निष्पक्ष अध्यक्ष

ब्रिटेन में जो व्यक्ति एक बार कॉमनसभा का स्पीकर चुन लिया जाता है तो वह अपने दल से संबंध विच्छेद कर लेता है और वह निर्दलीय तथा निष्पक्ष स्पीकर की भूमिका बहुत ईमानदारी से निर्वाह करता है इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में एक बार स्पीकर जीवन पर्यंत स्पीकर रहता है। उसके विरुद्ध कोई चुनाव नहीं लड़ता है इसलिए वह बार-बार निर्वरोध निर्वाचित होता रहता है ।

मंत्रीमंडलात्मक शासन

ब्रिटेन में मंत्रीमंडलात्मक शासन है यहा मंत्रीमंडल शासन की धुरी है जिसके अंदर कार्यपालिका कि समस्त शक्तियां निहित हैं। प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्री मण्डल कॉमनसभा के प्रति उत्तरदाई होता है। जब तक कॉमनसभा में प्रधानमंत्री को विश्वास मत हासिल रहता है तभी तक मंत्री मण्डल बना रह सकता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सहित मंत्री मण्डल को कॉमनसभा को भंग करने की सकती भी प्राप्त होती है।

एकात्मक शासन

ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। यहाँ पर पूरे देश का शासन लंदन से चलता है। स्थानीय सरकारें नहीं हैं तथा प्रांतों की अपनी पृथक सरकार और शासन भी नहीं हैं।